न्यायालय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम का प्रकरण संख्या 344/2025
(GCMS: 2025/453)

राज्य सरकार जरिये कविता, **जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर**

बनाम

गौरीशंकर पुत्र श्री जयराम जाति जाट उम्र 25 साल निवासी गोमावाली तहसील श्रीविजयनगर, जिला श्रीगंगानगर (मोबाईल नम्बर 63769–01103)

15.04.2026

पत्रावली पेश हुई। अप्रार्थी गौरीशंकर के अधिवक्ता श्री आनन्द व्यास एवं विभागीय प्रतिनिधि श्रीमती पूजा अग्रवाल, प्रवर्तन अधिकारी, जिला रसद कार्यालय, श्रीगंगानगर की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। **पत्रावली के संक्षिप्त इस प्रकार है** कि :

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

स्टेट की ओर से श्रीमती कविता, जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर ने धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थना की है कि दिनांक 12.11.2025 को जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर एवं मय प्रवर्तन स्टाफ राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 62 श्रीगंगानगर–सूरतगढ़ हाईवे पर 17 एसटीबी पालीवाला, में श्रीगंगानगर की ओर से आ रही एक सफेद रंग की पिकअप वाहन संख्या आरजे 13 जीबी 6889 को रूकवाया। मौके पर उक्त वाहन में वाहन चालक गौरीशंकर पुत्र श्री जयराम जाति जाट उम्र 25 साल निवासी गोमावाली तहसील विजयनगर होना बताया तथा स्वयं को उक्त वाहन का चालक होना बताया, जिसकी उपस्थिति में वाहन की जांच की गई, जिसमें 10 बड़े प्लास्टिक के ड्रमों में 2545 लीटर डीजल भरा होना पाया गया। पूछताछ में गौरीशंकर ने पंजाब के पेट्रोल पम्प से डीजल सस्ते दाम पर क्रय किया जाकर, मांग के अनुसार उपभोक्ताओं में विक्रय किया जाना बताया। मौके पर गौरीशंकर द्वारा डीजल के भण्डारण/बेचान/परिवहन संबंधी कोई अनुज्ञा पत्र/परमिट व दस्तावेज पेश नहीं किया। मौके पर अवैध रूप से अधिक मात्रा में डीजल परिवहन करने के कारण जब्त किया गया। मौके पर जब्तशुदा डीजल की सैम्पलिंग की कार्यवाही की गई। जब्त डीजल ज्वलनशील प्रकृ[illegible] पेट्रोल पम्प के मैनेजर को सुपुर्दगी में दिया गया तथा सुपुर्दगी [illegible] अलग से तैयार किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Amit Yadav
Date: 2026.05.07 16:11:47 IST
Reason: SelfAttested

इस प्रकार गौरीशंकर पुत्र जयराम जाति जाट निवासी गोमावाली तहसील श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर द्वारा पेट्रोल–डीजल की अवैध रूप से खरीद बेचान, परिवहन व संग्रहण आदि कर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955

जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

की सेक्शन 03 के तहत जारी मोटर स्पिरिट और उच्च वेग डीजल (प्रदाय और वितरण का विनियमन और अनाचार निवारण) आदेश 2005 के क्लाज 02 (क्यू) (आर), 03(4)(6), 04 का स्पष्ट उल्लंघन है। इसलिए उक्त वाहन संख्या आरजे 13 जीबी 6889, मय 2542.750 लीटर डीजल (सैम्पलिंग के पश्चात) मय ड्रम को राजसात करने की प्रार्थना की है।

अप्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री आनन्द व्यास ने अपनी बहस कथन किया कि जिला रसद अधिकारी को मौके पर ही इस बात से अवगत करवाया गया था कि उसके द्वारा उक्त डीजल शेरगढ़ फिलिंग स्टेशन वरयामखेड़ा रोड़, गांव शेरगढ़ पंजाब से खरीद किया हुआ है, जिसका बिल भी अप्रार्थी के पास मौके पर था परन्तु जिला रसद अधिकारी द्वारा ना तो बिल का अवलोकन किया गया और ना ही अप्रार्थी के इस कथन को माना कि उसके वाहन में 2390 लीटर डीजल है। जिला रसद अधिकारी द्वारा उस पर दबाव बनाते हुए 2545 लीटर होने के कथन पर हस्ताक्षर करवाये है।

उनका आगे यह भी कथन है कि जिला रसद अधिकारी द्वारा माप का निर्धारण भी सही रूप से नहीं किया गया है। वास्तव में ड्रम की क्षमता किसी भी सूरत में 260 लीटर नहीं होती है। डीजल के ड्रम का स्टेण्डर्ड माप 200 लीटर है, जिसमें अधिकतम 220 लीटर डीजल भरा जा सकता है, परन्तु जिला रसद अधिकारी द्वारा यह जानते हुए कि 2500 लीटर डीजल के परिवहन की छूट है, इसलिए जानबूझकर डीजल की क्षमता 260 लीटर मानकर 2545 लीटर डीजल होना अंकित है।

उनका आगे यह भी कथन है कि जिला रसद अधिकारी द्वारा विधिक प्रावधानों की पालना नहीं की गई है। जिला रसद अधिकारी द्वारा मौके पर सीज करते समय ना तो अप्रार्थी को सीजर प्रति दी गई है, ना ही सैम्पलिंग की एक बोतल दी गई हैं। इस प्रकार जिला रसद अधिकारी द्वारा सैम्पलिंग की जो कार्यवाही की गई है, वह विधि के प्रावधानों में नहीं की गई है।

उनका आगे यह भी कथन है कि माननीय उच्च न्यायालय व भारत सरकार के नोटिफिकेशन के अनुसार 2500 लीटर तक डीजल परिवहन करने किसी प्रकार का कोई उल्लंघन होना नहीं पाया गया है।

उनका आगे यह भी कथन है कि अप्रार्थी पेशे से किसान है एवं अप्रार्थी संयुक्त परिवार से हैं अप्रार्थी के पिता जयराम के नाम से चक 3 जीएम तहसील विजयनगर, जिला श्रीगंगानगर में 19 बीघा व चाचा पालाराम के नाम से 19

Signature Not Verified
Digitally signed by Amit Yadav
Date: 2026.05.07 16:11:47 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

बीघा नहरी कृषि भूमि है, इस प्रकार कुल 38 बीघा कृषि भूमि है, जिसमें दो ट्यूबवैल लगे हुए है, जिसको संचालित करने के लिए डीजल की आवश्यकता रहती है। इसलिए अप्रार्थी नियमानुसार 2500 लीटर से कम डीजल परिवहन कर लाया था। पंजाब में डीजल सस्ता होने के कारण अप्रार्थी पंजाब से अपने व्यक्तिगत कार्य के लिए डीजल खरीदकर लाया था। इसलिए प्रार्थी के वाहन आरजे 13 जीबी 6889 व उसमें भरे हुए 2390 लीटर डीजल को लौटाये जाने की प्रार्थना की है।

इसके विपरीत विभागीय प्रतिनिधि श्रीमती पूजा अग्रवाल ने कथन किया कि अप्रार्थी मात्र आवश्यक वस्तु अधिनियम के प्रावधानों को विफल करने हेतु After Thought जब्तशुदा 2542.750 लीटर डीजल(सैम्पलिंग के पश्चात) को 2390 लीटर डीजल होना बता रहे है, जबकि अप्रार्थी द्वारा मौके पर किसी प्रकार के बिल पेश नहीं किये थे और उसके द्वारा 2545 लीटर डीजल परिवहन कर लाया जा रहा था।

उनका आगे यह भी कथन है कि अप्रार्थी के अधिवक्ता ने स्वयं ने स्वीकार किया है कि वह गांव गुमजाल(पंजाब) से डीजल लेकर आया है। अन्य राज्य से राजस्थान में डीजल लाने पर राजस्थान वैट अधिनियम 2003 के अन्तर्गत वैट भी देय बनता है, जो अप्रार्थी द्वारा नहीं दिया गया है।

उनका आगे यह भी कथन है कि अप्रार्थी ने स्वयं ने फर्द मौका मय जब्ती, प्रारूप नमूना एवं सुपुर्दगीनामा पर डीजल को 2542.750 लीटर को सही मानकर ही हस्ताक्षर किये थे तथा मौके पर कोई बिल पेश नही किये थे। अप्रार्थी ने आवश्यक वस्तु अधिनियम के प्रावधानों को विफल करने हेतु 2390 लीटर डीजल के बिल पेश किये है।

उनका आगे यह भी कथन है कि अप्रार्थी से कुल 2542.750 लीटर डीजल मय वाहन जब्त किया गया था, जिसके विरूद्ध अप्रार्थी ने पूर्व में भी प्रार्थना पत्र पेश कर, डीजल कम होना बताते हुए, माननीय सैशन न्यायाधीश, श्रीगंगानगर में डीजल पुनः माप करवाने का प्रकरण पेश किया था, जिस पर माननीय सैशन न्यायाधीश, श्रीगंगानगर ने डीजल का पुनः माप करवाया [illegible] तो उक्त डीजल 2514 लीटर पाया गया। अभिरक्षक श्री सुनील कुमार [illegible] डीजल को वाहन सुरक्षित स्थान पर रखते सम 01 ड्रम का ढक्कन खुलने पर लगभग 25–30 लीटर डीजल अभिरक्षक श्री सुनील कुमार ने गिरने के सम्बन्ध में बताया गया। इसकारण जब्तशुदा डीजल की माप प्रक्रिया में 10 ड्रम में कुल

Signature Not Verified
Digitally signed by Amit Yad
Date: 2026.05.07 16:11:47 I
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

2514 लीटर भरा होना पाया गया, जो 2500 लीटर डीजल से अधिक पाया गया। जिससे ज्ञात होता है कि अप्रार्थी द्वारा जानबूझकर आवश्यक वस्तु अधिनियम के प्रावधानों को विफल करने हेतु, जब्तशुदा डीजल को 2390 लीटर के बिल किये गये है। जिससे स्पष्ट है कि अप्रार्थी डीजल / पेट्रोल का विक्रय के कार्य में लिप्त है। इसलिए अप्रार्थी से जब्तशुदा डीजल एवं वाहन संख्या आरजे 13 जीबी 6889 राजसात करने योग्य हैं।

मैनें, विभागीय प्रतिनिधि एवं अप्रार्थीगण के अधिवक्ता के द्वारा प्रस्तुत तर्को एवं पत्रावली व अप्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत जवाब व अन्य प्रस्तुत दस्तावेज, का भी ध्यानपूर्व अवलोकन किया तो पाया कि दिनांक 12.11.2025 को जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर एवं मय प्रवर्तन स्टाफ राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 62 श्रीगंगानगर–सूरतगढ़ हाईवे पर 17 एसटीबी पालीवाला में श्रीगंगानगर की ओर से आ रही सफेद पिकअप वाहन संख्या आरजे 13 जीबी 6889 को रूकवाने पर, उक्त वाहन में वाहन चालक गौरीशंकर उपस्थित मिला तथा उक्त उक्त वाहन में 10 ड्रमों में 2545 लीटर डीजल भरा होना पाया गया, जिसे वाहन चालक ने पंजाब के पेट्रोल पम्प से सस्ते दामों में क्रय किया जाना बताया। मौके पर अप्रार्थी के पास डीजल के भण्डारण / बेचान / परिवहन संबधी कोई वैद्य अनुज्ञा पत्र / परमिट व दस्तावेज प्रस्तुत नही किये और ना ही कोई बिल पेश किया गया। जिला रसद अधिकारी ने सुपुर्दगीनामा अलग से तैयार किया गया। अप्रार्थी गौरीशंकर द्वारा पेट्रोल–डीजल की अवैध रूप से खरीद बेचान, परिवहन व संग्रहण आदि कर **आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की सेक्शन 03 के तहत जारी मोटर स्पिरिट और उच्च वेग डीजल (प्रदाय और वितरण का विनियमन और अनाचार निवारण) आदेश 2005 के क्लाज 02 (क्यू) (आर), 03 (4)(6), 04 का स्पष्ट उल्लंघन के कारण** , जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर वाहन संख्या आरजे 13 जीबी 6889 मय सैम्पलिंग के पश्चात बचा हुआ 2542.750 लीटर डीजल को राजसात करने की प्रार्थना की है।

मोटर स्प्रिट और उच्च वेग डीजल (प्रदाय और वितरण का विनियमन और अनाचरण निवारण) आदेश 2005 व पेट्रोलियम उत्पाद (परिवहन, भंडारण और प्रदाय का रखरखाव) आदेश 1999 जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3 के तहत बने आदेश है, इसलिए उक्त 2005 एवं 1999 के आदेशों के प्रावधानों की अवहेलना होने पर सम्बन्धित व्यक्ति के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6(क) के तहत कार्यवाही की जा सकती है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Amit
Date: 2026.05.07 16:11
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

आवश्यक वस्तु अधिनियम की **धारा 14** के अनुसार इस तथ्य का भार अप्रार्थी गौरी शंकर पर ही था कि उसके द्वारा किसी भी अधिनियम, नियम, आदेश तथा अधिसूचना की अवहेलना नही की हैं। आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 14 निम्न प्रकार से है:–

> **"जहां कोई व्यक्ति धारा 3 के अधीन किये गये किसी ऐसे आदेश का उल्लंघन करने के लिए अभियोजित किया जाता है उसे विधिपूर्ण प्राधिकार के बिना अथवा किसी अनुज्ञापत्र, अनुज्ञप्ति या अन्य दस्तावेज के बिना कोई कार्य करने से या किसी चीज को कब्जे में रखने से प्रतिषिद्ध करता है, वहां यह साबित करने का भार कि उसके पास ऐसा प्राधिकार, अनुज्ञापत्र, अनुज्ञप्ति या अन्य दस्तावेज है उसी पर होगा।"**

अप्रार्थी गौरीशंकर पुत्र श्री जयराम से सफेद रंग की पिकअप वाहन संख्या आरजे 13 जीबी 6889 मय 2542.750 लीटर डीजल को जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर ने जब्त किया गया है कि अप्रार्थी ने आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3 के तहत जारी मोटर स्प्रिट और उच्च वेग डीजल (प्रदाय और वितरण का विनियमन और अनाचार निवारण) आदेश 2005 के क्लॉज **02 (क्यू) (आर), 03(4)(6), 04** का उल्लंघन किया है।

उक्त उच्च वेग डीजल (प्रदाय तथा वितरण का विनियमन और अनाचार निवारण) आदेश 2005 की धारा क्लॉज 2(क्यू)(आर),3(4)(6), 4 जिसका उल्लंघन अंकित किया गया है वे धाराएं निम्न प्रकार से है :

> 2(q). **"Unautorized purchase"** means sale of product by a dealer or cousumer to another dealer or cousumer or to any other person in contravention of the directive issued for the purpose by the State Government of the oil companies or in contravention of any provision of this order
>
> 2(r) **"unauthorized possession"** meand keeping of motor spirit or high speed diesel or any petroleum product or its mixture, in contravention of the provisions of this order, under the control of dealer or any other person without valid sales documents issued by the concerned oil company.
>
> 3(4) **No person other than the dealer of oil company shall be engaged in the business of selling product.**
>
> 3(6) **No dealer, transporter, consumer or any other person shall indulge in any manner in any one or more of the malpractice.**

Signature Not Verified
Digitally signed by Amit Yadav
Date: 2026.05.07 16:11:47 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

> 4. **Restriction on marketing of motor spirit and high speed diesel** - No person, other than those authorized by the Central Government, shall market and sell motor spirit or high speed diesel to consumers or dealers.

उक्त के अतिरिक्त विलायक, रेफिनेट और स्लॉप आदेश, 2000 का बिन्दु संख्या 12(2) पृष्ठ संख्या 187–188 निम्नानुसार **अवलोकनीय है:**

> **12(2)** उपरोक्त **सभी** पेट्रोलियम पदार्थो के **भण्डारण** हेतु **विस्फोटक विभाग द्वारा पेट्रोलियम अधिनियम 1934 की धारा में दी गई छूट के अलावा अनुज्ञप्ति की आवश्यकता होती है। 30 लीटर पेट्रोलिमय वर्ग क, 2500 लीटर अविपुट पेट्रोलियम वर्ग ख एवं 5000 लीटर वर्ग ग के भंडारण बिना अनुज्ञप्ति के किया जा सकता है।**

अप्रार्थी ने अपने लिखित जवाब व बहस में उक्त जब्तशुदा पिकअप वाहन संख्या आरजे 13–जीबी–6889 एवं 25427.750 लीटर डीजल जब्त होने से इंकार नहीं किया है बल्कि उक्त **पंजाब पैट्रोल पम्प** द्वारा एक साथ 2390 लीटर डीजल लाना स्वीकार किया है।

जिला रसद अधिकारी का पत्रांक रसद/अभियोजन/2025/159 दिनांक 21.01.2026 निम्नानुसार अवलोकनीय है:

> उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में निवेदन है कि धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम प्रकरण संख्या 344/2025 सरकार बनाम गौरी शंकर आदेश दिनांक 08.12.2025 माननीय न्यायालय जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर में विचाराधीन है।
>
> माननीय जिला एवं सैशन न्यायाधीश, श्रीगंगानगर द्वारा अनवानी प्रकरण संख्या 01/2026 में जब्तशुदा डीजल का पुनः माप संबधी कार्यवाही हेतु श्री दीपक सेतिया, अधिवक्ता को कमिश्नर नियुक्त कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने बाबत निर्देशित किया गया है। उक्त आदेशों की पालना में कमेटी का गठन कर दिनांक 20.01.2026 को कमिश्नर श्री दीपक सेतिया अधिवक्ता की उपस्थिति में सुपुर्दगी स्थल पर पहुंचकर जब्तशुदा डीजल के अभिरक्षक व गवाहों के समक्ष पुनः माप प्रक्रिय की गयी। अभिरक्षक श्री सुनील कुमार पुत्र श्री कृष्णलाल द्वारा जब्तशुदा

Signature Not Verified
Digitally signed by Amit Yad
Date: 2026.05.07 16:11:47
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

6ए प्रकरण संख्या 344 / 2025
सरकार बनाम गौरीशंकर
(GCMS No. 2025/453)

डीजल को वाहन से सुरक्षित स्थान पर रखते समय 01 ड्रम का ढक्कन खुलने पर लगभग 25–30 डीजल गिरने के संबंध में बताया गया। जब्तशुदा डीजल की माप प्रक्रिया में 10 ड्रम मय डीजल में कुल 2514 लीटर डीजल भरा होना पाया गया।

इस प्रकार माननीय जिला एवं सैशन न्यायाधीश, श्रीगंगानगर द्वारा विचाराधीन प्रकरण में अधिवक्ता श्री दीपक सेतिया को कमिश्नर नियुक्त करते हुए, जब्तशुदा डीजल का पुनः माप करवाये जाने पर वह 2500 लीटर से अधिक पाया गया, जो अप्रार्थी द्वारा अपने उक्त वाहन में पंजाब राज्य से परिवहन कर लाया जा रहा था। इस प्रकार अप्रार्थी ने मात्र आवश्यक वस्तु अधिनियम के प्रावधानों को विफल करने हेतु 2390 लीटर डीजल के बिल पेश किये जाना प्रतीत होता है।

चूंकि उक्त अप्रार्थी से फर्द जब्ती के अनुसार गौरीशंकर से 2500 लीटर से अधिक डीजल आदि जब्त किया गया है और **उसके पास उक्त जब्तशुदा डीजल/पेट्रोल के लिए कोई वैद्य अनुज्ञा पत्र/दस्तावेज नही है** जिसके आधार पर डीजल/पेट्रोल को अपने कब्जे में रख सके और परिवहन कर सके। अ**प्रार्थी गौरीशंकर द्वारा डीजल का परिवहन एवं विक्रय करना स्पष्ट करता है कि अप्रार्थी डीजल/पेट्रोल के अवैध कारोबार में लिप्त है। उक्त डीजल जो एक अत्यंत ज्वलनशील एवं विस्फोटक तरल पदार्थ है, को सुरक्षा की दृष्टि से उक्त पिकअप वाहन में परिवहन करना अत्यंत खतरनाक है। इस प्रकार अप्रार्थी ने** उच्च वेग डीजल (प्रदाय तथा वितरण का विनियमन और अनाचार निवारण) आदेश 2005 की धारा क्लॉज2(क्यू)(आर),3(4)(6),4 के प्रावधानों की भी अवहेलना है। इसलिए जब्तशुदा डीजल व पिकअप वाहन संख्या आरजे 13–जीबी–6889 राजसात किये जाने योग्य है।

अतः आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3 के तहत जारी मोटर स्प्रिट और उच्च वेग डीजल (प्रदाय और वितरण का विनियमन और अनाचार निवारण) आदेश 2005 के क्लॉज **02 (क्यू) (आर), 03 (4) (6), 04** का उल्लंघन करने के कारण, **जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर** द्वारा जब्तशुदा पिकअप वाहन संख्या आरजे 13/ जीबी–6889 व 2542.750 लीटर डीजल (सैम्पलिंग के बाद शेष), मय प्लास्टिक का टैंक को राजसात करने के आदेश दिये जाते है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Amit Yad
Date: 2026.05.07 16:11:47
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

चूंकि उक्त जब्तशुदा वाहन डीजल/पेट्रोल के अवैध कारोबार में लिप्त पाये गये है, इसलिए माननीय उच्चतम न्यायालय के **न्यायिक दृष्टान्त कलक्टर गंजम व अन्य बनाम रमेश चन्द्र पांधी 2009 डीएनजे (एससी) पेज 340 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6क के परन्तुक के अनुसार वाहन राजसात** करने की दशा में वाहन के एवज में **वाहन के बाजार मूल्य तक जुर्माना लगाया जा सकता है।** माननीय न्यायालय सैशन न्यायाधीश संख्या 01, श्रीगंगानगर की दाण्डिक अपील संख्या 12/2022, अनवान् कृष्ण कुमार बनाम स्टेट निर्णय दिनांक 10.07.2023 एवं अपील संख्या 07/2022 अनवान पवन सोनी बनाम जिला रसद अधिकारी श्रीगंगानगर, निर्णय दिनांक 25.08.2022 एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के प्रकरण एसबी क्रिमिनल पैटीशन संख्या 1405/2022 अनवान् नीतू सोनी बनाम सरकार निर्णय दिनांक 24.05.2023 में भी ऐसा ही मत दिया है।

आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6(क) निम्न प्रकार से अवलोकनीय है:

> **6क. आवश्यक** वस्तुओं **का अधिहरण–**
>
> ....
>
> **[परन्तुक यह और कि भाड़े पर माल या यात्रियों को ले जाने के लिए प्रयुक्त किसी पशु, गाड़ी, यान या अन्य प्रवहण के स्वामी को, उसका अधिहरण किए जाने के बदले में ऐसा जुर्माना जो ऐसे पशु यान या अन्य प्रवहण द्वारा ले जाई जाने वाली आवश्यक वस्तु के अभिग्रहण की तारीख को उसकी बाजार कीमत से अधिक न हो, संदाय (pay) करने का विकल्प दिया जाएगा।]**

चुंकि उक्त वाहन संख्या आरजे 13/ जीबी–6889 का अनुमानित **बाजार भाव 6.90/– लाख रूपये** है। **इसलिए** आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6(क) के परन्तु एवं उक्त न्यायिक दृष्टातों के अनुसार **वाहन पर 3.50/–/– लाख रूपये जुर्माना अरोपित किया जाता है और यदि वाहन स्वामी द्वारा जुर्माना राशि अदा कर देवें तो जिला रसद अधिकारी** श्रीगंगानगर उक्त वाहन **को** नियमानुसार **वाहन स्वामी को सुर्पुद कर देवें अन्यथा** नियमानुसार **वाहन को विक्रय किया जाकर विक्रय राशि स्थाई रूप से राजकोष में जमा करवायें।**

चूंकि पूर्व में जब्तशुदा डीजल ज्वलनशील द्रव्य है **व इसमें छिजत होने की संभावना होती है। इसलिए आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6ए(2)(i) के**

Signature Not Verified
Digitally signed by Amit Yad
Date: 2026.05.07 16:11:47
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

प्रावधानों के अन्तर्गत जब्तशुदा उक्त 2542.750 लीटर डीजल के अन्तरिम निस्तारण करने के आदेश दिये गये थे अब उक्त राजसात किये गये 2542.750 लीटर डीजल की विक्रय राशि स्थाई रूप से राज्यपक्ष में राजकोष में जमा करवाने के लिए जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर को आदेश दिये जाते है। आदेश की प्रति जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर एवं सूचनार्थ भिजवाई जावे।

चूंकि धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की कार्रवाई एवं राजस्थान वैट अधिनियम 2003 के अन्तर्गत वैट सम्बन्धी कार्रवाई अलग–अलग है। 6ए की कार्रवाई के लिए निम्नहस्ताक्षरकर्त्ता सक्षम है। राजस्थान वैट अधिनियम 2003 के अन्तर्गत कार्रवाई करने के लिए सम्बन्धित वाणिज्य कर विभाग ही सक्षम है। अतः वाहन रिलिज करने से पूर्व वाणिज्य कर विभाग का कोई राज्य सरकार का राजस्व देय बनता है तो सरकार का राजस्व सुनिश्चित करने पर वाहन रिलिज करना सुनिश्चित करें। वैट अधिनियम की उक्त कार्यवाही को इस प्रकरण की कार्यवाही से अलग रखा जावे। आदेश की प्रति जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर, वाणिज्य कर अधिकारी, श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे। जिला रसद अधिकारी एवं वाणिज्य कर अधिकारी, श्रीगंगानगर आपस मे समन्वय रखें। पत्रावली बाद तरतीब तक़मील दाख़िल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 15.04.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. अमित यादव)
कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Amit Yad
Date: 2026.05.07 16:11:47
Reason: SelfAttested